न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –11/2020

दायर दिनांक – 04.08.2020

निर्णय दिनांक – 27.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2020/00033

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती सुगन कंवर पत्नी श्री रतन सिंह जाति राजपूत निवासी बामण तहसील फलौदी जिला जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री अर्जुन सिंह राठौड़, अधि0, प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 143, 144, 145 में प्रार्थीया का हिस्सा 7/68 के स्थान पर आधार जमाबन्दी के खाता सं. 104 व 105 में वर्णित प्रार्थीया का हिस्सा 7/4 [illegible] तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:19 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को रजिस्टर किया जाकर [illegible]कार सरकार को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना

27.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/1950 दिनांक 23.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि राजस्व ग्राम कानस की वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 75 में खसरा नम्बर 1116 रकबा 01–02–00 बीघा, 1118 रकबा 01–07–00 बीघा, 1119 00–15–00 बीघा, 1120 रकबा 00–11–10 बीघा, 1121 रकबा 01–06–00 बीघा, 1122 रकबा 00–14–10 बीघा, 1211 रकबा 00–16–00 बीघा, 1251 रकबा 00–08–00 बीघा, 1252 रकबा 00–12–00, 1255 रकबा 01–09–10 बीघा, 1256 रकबा 04–18–00 बीघा, 1257 रकबा 00–14–10 बीघा, 1258 रकबा 01–08–00, 1259 रकबा 01–05–10 बीघा 1260 रकबा 01–03–10 बीघा, 1261 रकबा 01–04–00 बीघा, 1262 रकबा 01–04–10 बीघा कुल खसरा 17 कुल रकबा 21–10–00 बीघा पर नंगा वल्द भोला, छीतर, रतना पि. कम्मा वगैरह कॉलम संख्या 04 में सहखातेदारों के नाम दर्ज है। तथा नामा0 सं0 212 दिनांक 05.09.05 जरिये बेचान से नीम्बा, आम्बा पुत्र मांदू रावत किता 17 रकबा 21–10–00 बीघा में हक व हिस्से के बजाय श्रीमती डिम्पल मेहरा पत्नी जगदीश मेहरा जाति कहार निवासी म.नं. 228/8 नया बाजार अजमेर के नाम अंकन स्वीकार हुआ। शेष अंकन बदस्तूर का लाल पेन सेजमाबंदी में नोट लगा हुआ है। तथा नामान्तरकरण जिल्द में नामा0 सं0 240 स्वीकृत दिनांक 05.07.06 के कॉलम संख्या 07 में श्रीमती डिम्पल मेहरा पत्नी जगदीश मेहरा जाति कहार व हीरा पि. दूदा बहैसियत खुद व धापू पत्नी मल्ला, केसी पत्नी भीमा, मिठू छोटू पि. भीमा भोली पुत्री भीमा किशन पि. खिंया धापू, किशनी पुत्री खिंया रामा पुत्र दूदा, बदामी राधा, पुत्री दूदा कौम रावत सा. देह शेष अंकन बदस्तूर जरिये मुख्तयारआम दर्ज है। तथा नामा. जिल्द के कॉलम संख्या 09 में श्रीमती सुगनकंवर पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत निवासी बामणु तह. फलौदी जिला जोधपुर शेष अंकन बदस्तूर का अंकन है। पुष्कर तहसील के रिकार्ड रूम में वर्किंग जमाबन्दी का अवलोकन किया गया जिसमें नामा0सं0 240 स्वीकृत दिनांक 05.07.06 बेचान का नोट नहीं लगा हुआ है। बिन्दु संख्या 01 में वर्णित वर्किंग जमाबन्दी के ख0नं0 के हाल खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है।

हाल		साबिक	
ख0 नं0	रकबा	ख0 नं0	रकबा
1044	0.11	1116 मी.	0.11
1044/1225	0.07	1116 मी.	0.07
1048	0.12	1118 मी. 1119 मी.	0.08 0.04
1185	0.22	1118 मी. 1119 मी.	0.08 0.04
1049	0.04	[illegible] मी.	0.04
1050	0.02	[illegible] मी.	0.02
1051	0.06	[illegible] मी.	0.06
1052	0.07	[illegible] मी.	0.07
1056/1226	0.11	1120 मी 1121 मी.	0.05 0.09
1053	0.09	1122 मी.	0.09

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:19 IST
Reason: SelfAttested

29.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

1054	0.03	1122 मी.	0.03
1057	0.13	1211	0.13
1155	0.06	1251 मी.	0.06
1153	0.09	1252 मी.	0.09
1154	0.09	1252 मी.	0.09
1156	0.20	1155 मी.	0.02
1157	0.03	1255 मी.	0.03
1156/1398	0.01	1255 मी.	0.01
1179	0.05	1256 मी.	0.05
1180	0.06	1256 मी.	0.06
1181	0.06	1256 मी.	00.06
1158	0.40	1256 मी.	0.40
1174	0.02	1256	0.02
1175	0.02	1256 मी.	0.02
1176	0.02	1256 मी.	0.02
1177	0.06	1256 मी.	0.06
1178	0.10	1256 मी.	0.10
1182	0.01	1257 मी.	0.02
1173	0.02	1257 मी.	0.02
1180/1465	0.02	1257 मी.	0.02
1158/1464	0.05	1257 मी.	0.05
1181/1466	0.02	1257 मी.	0.02
1160	0.05	1258 मी.	0.05
1171	0.04	1258 मी.	0.04
1172	0.04	1258 मी.	0.04
1183	0.03	1258 मी.	0.03
1159	0.05	1258 मी.	0.05
1184	0.02	1258 मी.	0.02
1161	0.12	1258 मी.	0.12
1170	0.08	1259 मी.	0.08
1162	0.11	1260 मी.	0.11
1169	0.08	1260 मी.	0.08
1163	0.13	1261 मी.	0.13
1168	0.07	1261	0.07
1164	0.10	1262 मी.	0.10
1167	0.10	[illegible] मी.	0.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:19 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त मिलान क्षेत्रफल मिसल [illegible] की जमाबन्दी संवत् 2065–84 के खाता संख्या 104 कुल खसरा किता [illegible] कुल क्षेत्रफल 2.68 हैक्टेयर पर जमाबन्दी के कॉलम संख्या 04 में मूल खातेदार [illegible] रूप में श्रीमती सुगनकंवर पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत सा. बामणु तह फलोदी जिला जोधपुर 7/4 हि. सहखातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। परन्तु खाता संख्या 104 का कुल हिस्सा 1 नहीं है।

24.10.21
उपखण्ड अधिकारी

ग्राम कानस की वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 143 कुल खसरा 09 कुल रकबा 0.79 पर क्रमांक 55 पर श्रीमती सुगनकंवर पत्नी रतनसिंह हिस्सा 7/68 जाति राजपूत सा. बामणु तह. फलौदी खातेदार संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। तथा खाता संख्या 144 कुल खसरा किता 35 कुल क्षेत्रफल 2.51 क्रमांक 63 पर सुगनकंवर पत्नी रतनसिंह हिस्सा 7/68 जाति राजपूत सा. बामणु तह. फलौदी खातेदार संयुक्त सह खातेदारी के रूप में दर्ज है। तथा खाता संख्या 145 कुल खसरा किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.18 पर क्रमांक 63 पर सुगनकंवर पत्नी रतनसिह हिस्सा 7/68 जाति राजपूत सा. बामणु तह. फलौदी खातेदार संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज है। पैरा संख्या 03 में वादीया का हिस्सा 7/4 दर्ज है, जिसका अंश 7 हर 4 से बड़ा है। तथा जमाबन्दी में हिस्सा 1 नहीं होने व नामा. सं0 240 में हक हिस्से से नामा. दर्ज है उसमें भी हिस्से का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 143, 144 व 145 में वादी का का हिस्सा 7/68 की जगह 7/4 हिस्सा किया जाना उचित नहीं है। उक्त के दौरान सभी सहखातेदारों के हिस्से भी प्रभावित होगें।''

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2084 के खाता सं. 104 में प्रार्थीया का हिस्सा 7/4 दर्ज है, जिसका अंश 7 हर 4 से बड़ा है। तथा जमाबन्दी में हिस्सा 1 नहीं होने व नामा. सं0 240 में हक हिस्से से नामा. दर्ज है उसमें भी हिस्से का उल्लेख नहीं किया गया है उक्त के दौरान सभी सहखातेदारों के हिस्से भी प्रभावित होगें। अतः वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 143, 144 व 145 में वादी का का हिस्सा 7/68 की जगह 7/4 हिस्सा किया जाना उचित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को अस्वीकार/खारिज किया जाता है। **राजस्व ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2084 के खाता सं. 104 में प्रार्थीया** का हिस्सा 7/4 दर्ज है, जिसका अंश 7 हर 4 से बड़ा है। तथा जमाबन्दी में हिस्सा 1 नहीं होने व नामा. सं0 240 में हक हिस्से से नामा. दर्ज है उसमें भी हिस्से का उल्लेख नहीं किया गया है उक्त के दौरान सभी सहखातेदारों के हिस्से भी प्रभावित होने के **कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:19 IST
Reason: SelfAttested

28.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:19 IST
Reason: SelfAttested